**कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल**
Agricultural Scientists Recruitment Board
**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग**
(Department of Agricultural Research and Education)
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare
**कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली-110 012**
Krishi Anusandhan Bhavan I, Pusa, New Delhi 110 012

# उम्मीदवारों के महत्वपुर्ण अनुदेश
# IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.) परीक्षा - 2017 की मौखिक परीक्षा
Viva-Voce for Agricultural Research Service (ARS) Examination 2017

1. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को यात्रा या अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करता। लेकिन संलग्न सूचना परिशिष्ट में उल्लिखित सीमा तक अंशदान करता है।

   The Agricultural Scientists Recruitment Board does not defray the travelling or other expenses of candidates summoned for interview. The Board however, contributes towards those expenses to the extent mentioned in the enclosed Note (Annexure).

2. उपर्युक्त मौखिक परीक्षा में अन्तरिम रूप से बैठने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित **मूल प्रमाण-पत्र तथा उनकी सत्यापित प्रतियां** अपने साथ लाने की आवश्यकता है:-

   Candidates are required to bring the attested copies as well as the original certificates, for appearing in the above viva-voce provisionally :-

   (क) मैट्रिक्यूकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष मूल प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि के साथ) जो विश्वविद्यालय/बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हो ताकि उम्मीदवार की जन्म तिथि की पुष्टि की जा सके। मैट्रिक्यूलेशन के प्रवेश-पत्र या विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

   Matriculation/Higher Secondary or equivalent certificate in original (with a copy thereof) issued by the University/Board concerned for verification of date of birth. Admit card of matriculation or school leaving certificate will not be considered as a proof for date of birth.

   (ख) सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष मूल प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि के साथ) ताकि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता की पुष्टि की जा सके।

   Post-graduate Degree or equivalent certificate in original (with a copy thereof) issued by the University concerned for verification of your educational qualification.

(ग) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/शरीरिक विक्लांग क्षेणी के हैं और इसके अन्तर्गत मिलने वाली रियायत / आरक्षण लेना चाहते है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में जारी किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/शरीरिक विक्लांग का मूल प्रमाण-पत्र (हिन्दी या अग्रेजी भाषा) में दें।

Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other backward classes/Divyang must bring with them original certificate, in the prescribed form (in Hindi or English) issued by the Competent Authority, in case belonging to SC/ST/OBC/Divyang for claiming relaxation / reservation available to the category.

3. **मैट्रिक्यूलेशन या समकक्ष परीक्षा के बाद उम्मीदवार ने जितनी भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं उनसे संबंधित सभी मूल कागजात (स्वयं-सत्यापित प्रतिलिपियों के सहित) अपने साथ लाएं।**

Candidates are requested to bring with them the originals of all the documents (with self-attested copies) relating to the examinations passed by them after the Matriculation or equivalent examination.

4. यदि उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के दिन किसी एक/सभी निर्धारित प्रारुप में मूल कागजात/प्रमाण-पत्र अथवा उनकी सत्यपित छायाप्रति प्रस्तुत करने मे असफल रहते है तो आपको मौखिक परीक्षा में उपस्थित नही होने दिया जाएगा ।

In the event of inability to produce original /attested copies of any documents/certificates in prescribed format on the day of viva-voce, candidate will not be allowed to appear in the viva-voce.

5. (क) अनुप्रमाणन-पत्र को संलग्न पांच प्रतियां अपने हाथ से पूरी तरह भरकर या टाईप कराकर और उन पर हस्ताक्षर करके उन्हें अपने हाल के पासपोर्ट आकार (5 सें.मी. 7 सें.मी.) के फोटो की पांचों एक जैसी प्रतियों (अनुप्रमाणन प्रपत्र की पांचों प्रतियों में प्रत्येक पर एक-एक चिपकाकर) के साथ पत्र के जारी होने के तारीख से 15 दिन के अन्दर सीधे **अनुभाग अधिकारी, कार्मिक-1 अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001** को पंजीकृत / दूतगामी डाक द्वारा भेज दें। अनुप्रमाणन-प्रपत्र को अग्रेषित करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें एक साथ टेग से बांध दिया गया है और अपना अनुक्रमांक अनुप्रमाणन-प्रपत्र की सभी पांच प्रतियों के सीधे हाथ की ओर के ऊपरी सिरे पर अंकित कर दिया गया है।

Candidate should submit 5 copies of the enclosed Attestation Form after completing the same either in his own handwriting or in typed script duly signed alongwith five identical passport size (5 cm X 7 cm, approx.) copies of recent photograph (paste one each on the five copies of attestation form) and send within 15 days from the date of issue of this mail, directly to the **Section Officer, Personnel-I Section, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-110 001** by Regd./Speed Post. While forwarding Attestation Forms, candidate should ensure that they are tagged together and their Roll Number and Registration Number has been indicated on the right hand top corner on all the five copies of the Attestation Forms.

(ख) **कृपया साक्षात्कार के लिए समय संलग्न सारांश पत्र की पांच प्रतियां भी भरकर साथ लाएं।**

Please bring along, at the time of interview, five copies of the enclosed summary sheet duly filled in.

6. **कृपया नोट कर ले यदि उम्मीदवार परीक्षा के परिणामों के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं, तब भी जब तक उम्मीदवार परीक्षा की सभी शर्तों के अनुसार, पात्र नहीं होंगे, तब तक उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा।**

Please note that even if the candidate is declared successful on the basis of results of the examination, they will not be given offer of appointment unless they are eligible, inter-alia in terms of Rules of the Examination.

7. यदि उम्मीदवार चाहे तो साक्षात्कार के समय प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में भी दे सकते हैं।

Candidates will be at liberty to answer the questions in Hindi also at the time of interview, if candidate so desires.

8. नोटः कृपया नोट कर लें मौखिक परीक्षा की तिथि को बदलने/स्थगित करने के किसी निवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Note: Please note that no request for change/postponement of the date of Viva-Voce will be entertained.

(Ved Prakash)
परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations

# संलग्नक

क) रेल से यात्रा की गई तो यात्रा व्यय में बोर्ड का अंशदान दूसरे दर्जे (मेल) के एक टिकट के किराये तक सीमित रहेगा। उम्मीदवार को अपने सामान्य निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक के सबसे छोटे मार्ग का व्यय या वास्तविक रेल यात्रा का व्यय जो भी कम हो, दिया जायेगा। साक्षात्कार के स्थान तक आने-जाने का या वास्तविक खर्च किये गये व्यय में से जो भी कम हो, वह उम्मीदवार को मिलेगा। जिन्होंने स्लीपर सुविधा ली है उन्हें दूसरे दर्जे के रेल किराये के अलावा स्लीपर के लिये किया गया खर्च भी लौटाया जायेगा। जहां रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है और भारतीय समुद्र में स्टीमर से यात्रा की गई है उन उम्मीवारों को भी दूसरे दर्जे का स्टीमर किराया मिलेगा और उनमें भोजन व्यय शामिल नहीं होगा। (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षदीप से साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को बोर्ड का अंशदान स्टीमर की बंक क्लास) तक के किराये तक सीमित होगा। भारत के बाहर के उम्मीदवारों को भारत की सीमा में की गई यात्राओं के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

ख) जहां रेलवे स्टेशन नहीं हैं ऐसे स्थानों में रहने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा की गई सड़क यात्रा का भुगतान बस के टिकट की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय दिया जायेगा। निकटतम रेलवे स्टेशन या स्टीमर स्टेशन तक की गई सड़क यात्रा या उप-संभाग या तहसील मुख्यालय से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक की दूरी में से जो भी कम होगा। उसी आधार पर सड़क पर मार्ग से आने जाने की यात्रा का व्यय दिया जायेगा।

ग) रेलवे कर्मचारियों को भी अन्य उम्मीदवारों के लिए मान्य अंशदान के बराबर ही भुगतान किया जायेगा जिसके लिए उन्हें रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी का यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उम्मीदवार को नि:शुल्क यात्रा करने का पास/पी.टी.ओ. इस यात्रा के लिए नहीं दिया गया। अगर उन्होंने साक्षात्कार के लिये अपना रेलवे पास इस्तेमाल किया है तो उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

घ) यदि किसी रेलवे कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी ने रियायती दर से यात्रा की है तो उन्हें उस पर किया गया वास्तविक व्यय या निकटतम मार्ग से दूसरे दर्जे की टिकट के खर्च में से जो भी कम होगा, दिया जायेगा।

ङ) जहां रेल और सड़क का एक ही टिकट खरीदने की सुविधा हो वहां उम्मीदवारों को उसका लाभ उठाना चाहिये। इस मिली-जुली टिकट पर किया गया खर्चा बोर्ड देगा। रेलवे से उन दिनों में यात्रा की गई जब वापसी टिकट रियायती दरों पर मिलती हो तो बोर्ड का अंशदान रियायती वापसी टिकट तक सीमित होगा।

च) जहां किसी और किस्म की रियायत का लाभ उठाया गया हो वहां उम्मीदवार को निकटतम मार्ग से दूसरे दर्जे का रेल किराया या वास्तविक किये गये खर्च में से जो भी कम हो वही मिलेगा।

छ) अगर उम्मीदवार साक्षात्कार के लिये अपने निवास स्थान की बजाए उससे ज्यादा दूर के किसी अन्य स्थान से यात्रा करता है तो गैर सरकारी नौकरी में होने पर नियोक्ता से और सरकारी नौकरी में होने पर कार्यालय के अध्यक्ष से साक्षात्कार के लिये की गई वास्तविक यात्रा का प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर उम्मीदवार नौकरी में नहीं है तो अपने सामान्य निवास स्थान की बजाय किसी दूसरे स्थान से यात्रा का व्यय तभी दिया जा सकेगा तब वह अपना पता बदलने की सूचना बोर्ड को साक्षात्कार की तारीख से पहले भेज दें।

ज) नीचे दिये गये मामलों में पंद्रह रुपये प्रतिदिन की दर से ठहरने का भत्ता दिया जायेगा।

(अ) जब उम्मीदवार को किसी प्रशासनिक कठिनाई की वजह से साक्षात्कार की तिथि के बजाय उसके तुरन्त बाद की तिथि में साक्षात्कार किया जाये।

(ब) जहां जब उम्मीदवार को लिखित व्यावहारिक परीक्षा में बैठने के बाद की तिथि में साक्षात्कार देना हो।

टिप्पणी : जिस तारीख/तारीखों में साक्षात्कार या लिखित परीक्षा हो उनका ठहरने का भत्ता स्वीकार नहीं होगा। ठहरने का भत्ता इस आधार पर मिलेगा कि उसके लिए दिया हुआ अंशदान का खर्चा आने-जाने के मार्ग व्यय और यात्रा भत्ते को मिलाने के बाद भी कम हो।

झ) यात्रा व्यय में बोर्ड का अंशदान उम्मीदवार के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किया जाएगा | अत: उम्मीदवार को इसके लिए यात्रा व्यय अंशदान फॉर्म में अपने बैंक खाते का विवरण (बैंक खता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कूट आदि) भी देना होगा |

ण) उम्मीदवारों के आवास और भोजन की व्यवस्था बोर्ड नहीं करेगा।

# ANNEXURE

a) In respect of journey by rail, payment of the Boards contribution towards the travelling expenses of a candidate shall be restricted to a single second class (mail) railway fare by the shortest route to the place of interview from the railway station nearest to the candidate's normal place of residence or from which he/she actually performs the rail journey whichever is nearer to the place of interview, and back to the same station or the amount of railway fare actually incurred whichever is less. In addition to Second Class Railway fare, sleeper charges shall be reimbursed to the candidates who avail of the sleeper facility. In respect of jouney by sea from and to any place in India which is not connected by rail and where the mode of travel is by steamer, the rate of contribution will be restricted to a single second class steamer fare exclusive of the diet charges. (In case of a candidate who are called for interview from Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, the Board's contribution towards their steamer charges will be restricted to "Bunk Class" fare only). In case of a candidate who comes from outside India, the Boards contribution towards T.A. will be restricted to that admissible for journeys performed within the limits of the Indian Union.

b) A candidate who resides at a place where there is no railway station shall for the portion of road journey performed by him be paid bus fare on production of original tickets. The road mileage, will be based on the road journey performed to and from the sub-division or Tehsil Headquarters, to the nearest railway or steamer station and back, whichever distance is shorter.

c) Railway servants will be paid the same contribution as admissible to other candidates on producing a certificate from the appropriate railway authority to the effect that they were not provided with free passes/ P.T.Os to cover the journey. No such contribution will be paid if any use a privilege pass for the purpose of coming for interview.

d) If railway servants or other Central Govt. servants use a privilege ticket/order they will be paid the amount spent on the privelege ticket/order subject to a maximum fo the Second Class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by the candidate, whichever is less.

e) In cases where Rail-cum-Road tickets are available candidate should utilise them for their journey. The Board's contribution in such cases will be limited to the cost of rail-cum-road tickets, wherever such tickets are available.

f) In case any other concession is used, the candidate will be paid the amount spent on rail fare subject to a maximum of second class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by him, whichever is less.

g) Where the candidate commences his journey to the place of interview from a place other than one mentioned as the normal place of residence in his application and this place is more distant from the place of interview and is employed, a certificate from his employer in the case of private employment and from the Head of Office in case of employment under Govt. to the effect that he actually performed journey from the place for the purpose of interview. In case he is not employed, any change in the normal place of residence, would be recognised only if he had informed the Board of the change in his address prior to the date of interview.

h) Candidates will be paid boarding allowance at the rate of rupees fifteen per day in the following cases:

(*i*) When the date of viva-voce of the candidate is postponed to a date immediately succeeding the actual date of viva-voce.

(*ii*) When the candidate has to appear in the viva-voce immediately after the date of written practical examiation.

**Note :** Boarding allowance will not be given for the date of written test/viva-voce. The boarding allowance will be given on the ground that the contribution of the Board is less than the travelling expenses and allowances.

i) The Board's contribution towards travelling expenses will be electronically credited in the candidate's bank account. Accordingly, the candidates will have to provide their bank account details (Bank Account Number, Name of Bank & Branch, IFSC Code etc.) in the travelling allowances contribution form

j) The Board will not make any boarding and lodging arrangements for the candidates